22/01/19

वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रा.पत्र में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने का निवेदन किया व साथ ही निवेदन किया कि मूल वाद में दोनों पक्षों के मध्य राजिनामा हो चुका है। इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जावे। विपक्षी के अधिवक्ता ने राजिनामा होना स्वीकार किया व प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने में सहमती जाहिर की।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया राजिनामे का भी अवलोकन किया तथा प्रार्थी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म करवाना चाहते है। प्रार्थी खातेदार काश्तकार भी है। व विपक्षी भी सहखातेदार भी है। तथा न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा विशेष हिस्से को विभाजन नहीं करने व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत जारी की है।

अतः प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में
1– श्री भेरु
2– श्रीमती
3– श्रीमती
4– श्रीमती
तहसील
1– श्री मांगी
2– श्री तहस
महोदयजी,
प्रा
1– यह कि प्र
का न्याया
से निश्चित
निस्तारण
2– यह कि
लगानी 1
स्थित है
3– यह कि
विपक्षी सं
बंटवाड़ा भी